

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (षष्ठम् संशोधन) नियमावली, 2011 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-3 (वेतनमान रू० 15,600-39,100 ग्रेड-पे-7600) के चिकित्साधिकारी डा० बिन्दु प्रकाश सिंह, वरिष्ठता क्रमांक-9536 के विरुद्ध संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त कर दिये जाने के दृष्टिगत कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 28.05.1997 के प्रस्तर-7(क) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत डा० बिन्दु प्रकाश सिंह के संयुक्त निदेशक ग्रेड के पद पर पदोन्नति हेतु संस्तुत बन्द लिफाफे को खोलते हुए चयन समिति की संस्तुति के अनुसार उन्हें उनके आसन्न कनिष्ठ डा० पुरुषोत्तम कुमार मिश्रा (वरि० क्र० 9541) की पदोन्नति की तिथि 01.10.2014 से लेवल-4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू० 37,400-67,000 ग्रेड-पे-8700) के पद पर नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- डा० बिन्दु प्रकाश सिंह की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।


अरविन्द कुमार  
प्रमुख सचिव।

संख्या-3558 (1)/सेक-2-पांच-15, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक के प्रकाशनार्थ।
- 5- अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
- 6- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, संयुक्त चिकित्सालय, कौशाम्बी।
- 7- कोषाधिकारी, कौशाम्बी।
- 8- डा० बिन्दु प्रकाश सिंह, एस०एम०ओ० (स्टोर), संयुक्त चिकित्सालय, कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ कि तत्काल योगदान आख्या संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- 9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

  
(विनोद कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव।